

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि धर्मशाला नगर निगम द्वारा संगम पार्क की कार पार्किंग (कोतवाली बाजार धर्मशाला) को एक वर्ष के लिए ठेके पर देने हेतु खुली बोली दिनांक 28.07.2022 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय धर्मशाला नगर निगम में रखी गई है।

नीलामी की अवधि 01.08.2022 से 31.07.2023 तक होगी।

सरकारी बोली 2,40,000.00


पार्किंग की दरों का विवरण		
स्कूटर/मोटर साईकल	00 से 02 घण्टे	10.00रु0
	02 से 06 घण्टे	20.00रु0
	06 घण्टे से उपर	5.00रु0 प्रति घण्टा
कार,जीप, वैन इत्यादि	00 से 02 घण्टे	30.00रु0
	02 से 06 घण्टे	50.00रु0
	06 से 12 घण्टे	150.00रु0
	12 घण्टे से उपर	20.00रु0 प्रति घण्टा
मासिक पास	स्कूटर/मोटर साईकल	600.00रु0 प्रति माह
मासिक पास	कार,जीप, वैन इत्यादि	2000.00रु0 प्रति माह

बोली के नियम व शर्तें

1. सफल बोलीदाता को बोली शुरू होने से पहले 10,000/- (दस हजार रु0) बतौर (EarnestMoney) धरोहर राशि मौका पर जमा करवानी होगी जोकि असफल बोलीदाताओं को बोली समाप्त होने पर वापिस कर दी जाएगी तथा सफल बोली दाता की धरोहर राशि को पहली किस्त में समायोजित किया जाएगा।
2. सफल बोली दाता को मुवलिग 50,000/- रु0 (पचास हजार रु0) की प्रतिभूतिराशि (Security Money in Shape of F.D.R Pledge in favour of Comissioner of Dhramshala Municipal Corporations) के रूप में जमा करवानी होगी जो कि वाद में ठेका अवधि पूर्ण होने पर वापिस कर दी जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. बोलीदाता को कुल बोली राशि का 30 प्रतिशत बोली समाप्त होने पर उसी दिन जमा करना होगा व 20 प्रतिशत राशि 24 अगस्त 2022 तक तथा शेष 50 प्रतिशत राशि प्रति माह एक समान 10 किस्तों के हिसाब से 10 पोस्ट डैटिड बैंक बोली समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करवाने होंगे। अवहेलना की सूरत में कार्य को दोवारा नीलाम किया जाएगा व धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा ओर ठेकेदार को पुनः बोली के लिए अयोग्य किया जाएगा।
4. अगर बोलीदाता नियम व शर्तों के मुताबिक 30 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाता है तो (EarnestMoney) / धरोहर राशि 10,000.00 (दस हजार रु0) जब्त करके उस सूरत में ठेके को रद्द करके दूसरे नम्बर पर निविदा देने वाले व्यक्ति को ठेका दे दिया जाएगा।
5. बिना धरोहर राशि जमा करवाये कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता।

6. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी जो आयुक्त धर्मशाला नगर निगम धर्मशाला के पक्ष में देय होगी।
7. सफल बोलीदाता को पार्किंग की ठेका राशि देय जी0एस0टी0 सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 2 दिनों के भीतर व पार्किंग की पूर्ण ठेका राशि पर देय टी.डी.एस. इत्यादि का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा। यह ठेका राशि के अतिरिक्त होगा तथा पार्किंग की शेष राशि के पोस्ट डैटिड चेक अग्रिम रूप में देने होंगे।
8. किसी भी प्रकार के आपसी विवाद को आयुक्त, धर्मशाला नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा उनका निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायलय अधिकार क्षेत्र धर्मशाला शहर होगा।
9. बोली वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर की जाएगी।
10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, धर्मशाला नगर निगम या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/ सेवाकर बोलीदाता को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा।
11. बोलीदाता को नगर निगम से अदेय प्रमाण पत्र (No dues Certificate) संलग्न करना होगा। यह प्रमाण पत्र नीलामी सूचना जारी करने की तिथि के बाद व बोली से पहले की होनी चाहिए।
12. सफल बोलीदाता को बोली के उपरान्त नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तों के अनुसार इकरारनामा निर्धारित 15 दिन के अन्दर-अन्दर निष्पादित करना होगा अन्यथा सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम बोली रद्द समझी जाएगी।
13. बोली के नियमों व शर्तों पर यदि किसी बोलीदाता को कोई आपत्ति हो तो वह 22 जुलाई 2022 सायं 5.00 बजे से पहले अपनी आपत्तियां दायर कर सकता है उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
14. आयुक्त धर्मशाला नगर निगम को बिना कोई कारण बताये बोली को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. सरकार एवं नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश सफल बोलीदाता को मान्य होंगे।
16. आयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त धर्मशाला नगर निगम या उनके द्वारा प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आवंटित सम्पत्ति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
17. सफल बोलीदाता को बोली की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर धर्मशाला नगर निगम से अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्धनामा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जाएगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

18. ठेकेदार को पार्किंग की उगाही हेतू कर्मचारी अपने स्तर पर रखने होंगे व उनका ई.पी.एफ भी जमा करवाना होगा। ठेकेदार व कर्मचारियों में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होगा तो धर्मशाला नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
19. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुकसान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान पाये जाने की राशि काटकर बाकि की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर बोलीदाता को सम्पति का कब्जा शांतिपूर्वक नगर निगम को सौंपना होगा।
20. पार्किंग में प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।
21. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पति में यदि बिजली, पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल बोलीदाता को स्वयं करना होगा।
22. सफल बोलीदाता को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का 4X4 फीट का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय का दूरभाष नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करनी होगी।
23. सफल बोलीदाता को स्थानीय लोगों की सुविधा को देखते हुए व्यवसायिक पार्किंग में स्थानीय लोगों को सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी।
24. सफल बोलीदाता को नगर निगम की अनुमति पर पात्र स्थानीय व्यक्ति को मासिक पास देना अनिवार्य होगा जिसका रजिस्टर नगर निगम और ठेकेदार दोनों को Maintain करना होगा। नगर निगम का कर्मचारी कभी भी इसका निरीक्षण कर सकता है। मासिक पास 6 महीने से अधिक अवधि का नहीं दिया जाएगा तथा 6 माह के बाद व्यक्ति को फिर से नवीनीकरण हेतू आवेदन करना होगा।
25. धर्मशाला नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह साल में 7 दिनों के लिए पार्किंग का कुछ भाग धार्मिक या अन्य समारोह करने के लिए उपयोग कर सकता है।
26. सफल बोलीदाता को नगर निगम द्वारा 01 अगस्त 2022 को पार्किंग स्थल का कब्जा पार्किंग फीस की उगाही हेतू दे दिया जाएगा।


अतिरिक्त आयुक्त,
धर्मशाला नगर निगम